न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-473RAAJodhpur2022-289RTA225 Aamdin ors Vs Nainsukh etc

01. आमदीन पुत्र श्री हुसैन खां
02. हनीफ खॉ पुत्र हुसैन खॉ
    जातियान् मुसलमान, निवासीगण– ग्राम गोदरली, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. नेनसुख पुत्र श्री गोपीलाल, जाति सोनी, निवासी– सदर बाजार, फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
02. तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 06 फरवरी 2019 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2021 आमदीन व अन्य बनाम आमदीन इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 28 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर **(फास्ट ट्रेक)** ट्रेक फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2021 अनवान आमदीन व अन्य बनाम नेनसुख इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 फरवरी 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 नवंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 63/373 रकबा 15, खसरा नं. 73/406

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 15 बीघा ग्राम गोदरली के संबंध धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2019 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी व कब्जे व काश्त की कृषि भूमि होने के कारण अपीलार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। जिस कारण प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता को सुने बिना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद का जब तक निस्तारण नहीं हो जाता तब तक प्रत्यर्थी को अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त के भू–भाग पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण दिये आलौच्य आदेश पारित किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को अपने पक्ष में साबित किया है। वाद के विचाराधीन रहते प्रत्यर्थी द्वारा विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है या बेचान/हस्तांतरण कर दिया जाता है तो अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो वाद विवाद बढने व कब्जे में परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना है तथा अपूरणीय क्षति अपीलार्थीगण को होगी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स एवं उनके अधिवक्ता को सुने बिना पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। जब अपीलार्थीगण अपने अधिवक्ता से उक्त प्रकरण की तारीख पता करने गये तो अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बताया कि आलौच्य आदेश बिना बहस ही तथा बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विरूद्ध पारित किया है, जिसकी अपील करनी पड़ेगी, जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलौच्य आदेश की नकल हेतु दिनांक 19.10.2022 को आवेदन किया , जिस पर नकल उसी दिन प्राप्त हो गई, जिसे पढने पर प्रथमबार अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 फरवरी 2019 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स आमदीन पुत्र हुसैन खा तथा हुसैन खां पुत्र हनीफ खां वादग्रस्त आराजी क्रमशः खसरा नं. 63/373 रकबा 15 बीघा तथा खसरा नं. 63/406 रकबा 15 बीघा ग्राम गोदरली के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वर्तमान में विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुने बिना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किये बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सरसरी तौर पर खारिज किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार दर्ज होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। लिहाजा विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संरक्षित किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर **(फास्ट ट्रेक)** ट्रेक फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2021 अनवान आमदीन व अन्य बनाम नेनसुख इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 फरवरी 2019 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेंट्स को वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वह अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर